दिनांक 08.03.2018 को मान्नीय मंत्री, कृषि, की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद :–

बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद हेतु निर्धारित कुल उ़द्व्यय 72.5612 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 6.6982 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि पूरी राशि की निकासी कर ली जायेगी एवं इसे पी0 एल0 एकाउन्ट में रखा जायेगा।

2. उद्यान :–

2.1 पी0एम0के0एस0वाई0 (माइक्रो इरीगेशन) का कुल 55.86 करोड़ रू0 अवशेष है। निदेशक, उद्यान द्वारा बताया गया कि यह राशि व्यय की जा रही है एवं अगले वित्तीय वर्ष में भी व्यय की जायेगी। ऑन लाईन आवेदन कृषकों से लिया जा रहा है। अभी तक 13 जिलों से लगभग 8 करोड़ रू0 अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि इस योजना का कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार किया जाय तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।

2.2 एम0आई0डी0एच0 (मिशन ऑफ इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर) :–

इस योजना अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 35.35 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 6.76 करोड़ रू0 व्यय हुआ है। इस योजना अन्तर्गत लगभग 30 करोड़ रू0 का आवंटन जिलों में गया तथा लगभग 6 करोड़ रू0 मुख्यालय में है। निदेशक, उद्यान द्वारा बताया गया कि सभी राशि खर्च हो जायेगी।

3. भूमि संरक्षण :–

भूमि संरक्षण निदेशालय की योजना "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" एवं "अदर इंटरभेन्शन" अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 36.74 करोड़ रू0 में से अभी तक 12.39 करोड़ रू0 व्यय किया गया है। 24.35 करोड़ रू0 अवशेष है। निदेश दिया गया कि क्षेत्र में जितना काम हो गया है, उसका सत्यापन कराकर अनुदान की राशि अविलम्ब लाभान्वितों को भुगतान कर दिया जाय।

4. नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान–एग्रीकल्चर :–

इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 4.20050 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 2.8498 करोड़ रू0 की निकासी कर ली गई है। भारत सरकार द्वारा द्वितीय किस्त की राशि 1.35138 करोड़ रू0 विमुक्त कर दी गई है। इस योजना अन्तर्गत सभी ई–किसान भवन में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, प्रिन्टर इत्यादि लगाया जाना है तथा इन्टरनेट की सुविधा

मुहैया कराया जाना है। सभी ई–किसान भवन में इन्टरनेट की सुविधा बहाल करने हेतु बी0एस0एन0एल0 से बात हो रही है।

5. **बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेन्सी :–**

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 3.9945 करोड़ रू0 की राशि आवंटित की गई है। इस राशि की निकासी हेतु विपत्र कृषि निदेशालय द्वारा कोषागार में भेजा गया है। राशि की निकासी कर पी0एल0 एकाउन्ट में रखा जायेगा।

6. **बिहार राज्य बीज निगम :–**

6.1 आधारभूत संरचना विकास अन्तर्गत कुदरा में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हेतु 4.4003 करोड़ रू0 कृषि निदेशालय द्वारा निकासी कर बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0 खाता में दे दिया गया है।

6.2 सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानटिंग मैटेरियल योजना अन्तर्गत 8.15 करोड़ रू0 जिला कृषि पदाधिकारियों को निकासी कर बिहार राज्य बीज निगम को उपलब्ध कराना है। इसके लिए विपत्र बी0आर0बी0एन0 को सभी जिला में उपलब्ध कराना है। जिसके आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी राशि की निकासी करेंगे।

7. **नमामि गंगे योजना :–**

बक्सर से भागलपुर तक के सभी जिलों में इसे **''परम्परागत विकास योजना''** अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाना है। कुल 103 कलस्टर हेतु इस योजना अन्तर्गत 2.20 करोड़ रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है। योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

8. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–**

9.1 कृषि निदेशालय को इस योजना अन्तर्गत 2.599 करोड़ रू0 की निकासी कर बी0आर0बी0एन0 के पी0एल0 खाता में दिया जाना है। बी0आर0बी0एन0 द्वारा प्री–रीसिट कृषि निदेशालय को उपलब्ध करा दिया गया है। बजट पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अविलम्ब इस राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

9.2 इस योजनान्तर्गत बीज गुणन प्रक्षत्रों की घेराबन्दी आदि हेतु 15.41 करोड़ रू0 स्वीकृत है। कृषि निदेशालय को इस राशि की निकासी कर कार्यान्वयन एजेन्सी (एल0ए0ई0ओ0) को उपलब्ध कराना है। एल0ए0ई0ओ0 द्वारा अभी तक 5 करोड़ रू0 का ही प्री रीसिट उपलब्ध

कराया गया है। शेष प्री रीसिट अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि जो कार्यान्वयन एजेन्सी समय से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको बदल दिया जाय।

9. राष्ट्रीय खाद्य **सुरक्षा मिशन :–**

कृषि निदेशालय द्वारा इस योजना अन्तर्गत 65.81 लाख रू0 की निकासी कर गन्ना विभाग को बामेती के माध्यम से दिया जाना है। बजट पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अविलम्ब विपत्र तैयार कर राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

10. जैविक खेती **प्रोत्साहन कार्यक्रम :–**

10.1 इस योजना अन्तर्गत 2.80 करोड़ रू0 ढैंचा बीज वितरण हेतु कृषि निदेशालय को निकासी कर बी0आर0बी0एन0 को उपलब्ध कराना है। अभी तक राशि की निकासी नहीं हुई है।

10.2 इस योजना अन्तर्गत 21 लाख रू0 बायोफर्टिलाईजर के वितरण हेतु स्वीकृत है। इसकी निकासी कृषि निदेशालय द्वारा अभी तक नहीं की गई है।

10.3 व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु 32.50 लाख रू0 की निकासी अभी तक नहीं हो सकी है। अगले वित्तीय वर्ष से यह राशि प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के माध्यम से व्यय करने का निर्णय लिया गया है।

11. माप–तौल :– माप–तौल का सुदृढ़ीकरण हेतु 350.00 लाख रू0 केन्द्रांश एवं 338.54 लाख रू0 राज्यांश कुल 688.54 लाख रू0 की योजना का स्वीकृति आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति हेतु उपस्थापित किया गया है।

12. एन0एम0ओ0ओ0पी0 :– इस योजनान्तर्गत किशनगंज जिला में Targeting Rice Fellow Area हेतु 6.6734 लाख रू0 की योजना की स्वीकृति आन्तरिक वित्तीय सलाहकार से हो गई है।

13. कृषि शिक्षा :– कृषि विश्वविद्यालय, डुमराँव में 29.26 करोड़ रू0 एवं भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया में 23.99 करोड़ रू0 के भवन निर्माण का प्राक्कलन पुनर्रीक्षण की योजना में अभी तक निगरानी की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। उक्त राशि में से कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा निम्नलिखित योजना ली गई है :–

i. प्रयोगशाला **उपकरण क्रय हेतु 10.58 करोड़ रू0**

ii. बीज **भंडारण एवं प्रसंस्करण हेतु 8.64606 करोड़ रू0**

उक्त दोनों योजना स्थायी वित्त समिति को विचारार्थ भेजा जा रहा है।

14. सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल योजनान्तर्गत बीज प्रसंस्करण इकाई–सह–गोदाम निर्माण हेतु 19.20 करोड़ रू0 100 प्रतिशत केन्द्रांश मद से स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

20.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16 – 1713 पटना, दिनांक :– 21-3-18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16 – 1713 पटना, दिनांक :– 21-3-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।